


14.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। अपीलांट अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है। पत्रावली लम्बे समय से तलबी स्तर पर चल रही है। अपीलांट व अपीलांट अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। अपीलांट व अपीलांट अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण अपील प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

